

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 205 / 2020

ख्यालीराम पुत्र कुरड़ाराम जाति माली उम्र 57 वर्ष निवासी ढाणी कादरिया वाली, तन् नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज.)

..... प्रार्थी

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 23-03-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 88 में प्रार्थी के पिता का नाम कुरड़ाराम पुत्र सांवल के स्थान पर कुरड़ाराम पुत्र साबदान दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाता सं. 88 ग्राम नानूवाली बावड़ी पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 88 में प्रार्थी के पिता का नाम कुरड़ाराम पुत्र सांवल के स्थान पर कुरड़ाराम पुत्र साबदान दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 88 में प्रार्थी के पिता का नाम कुरड़ाराम पुत्र सांवल के स्थान पर कुरड़ाराम पुत्र साबदान दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुझुनू)